

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4354/2023

क्रिया विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड, जिसका पंजीकृत पता पला बी.ओ., राम नगर, कुम्हेर, भरतपुर - 321301, राजस्थान, भारत है, अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आकाश मित्तल पुत्र जितेंद्र कुमार, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी गुलाल कुंड, मथुरा गेट के बाहर, भरतपुर - 321001, राजस्थान, भारत के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- आयकर अधिकारी, वार्ड 1, भरतपुर, जिसका पता आयकर विभाग, गोवर्धन गेट, मुख्य डाकघर के पास, भरतपुर- 321001, राजस्थान, भारत है
- आयकर अधिकारी, फेसलेस असेसमेंट सेंटर (एनफैक), जिसका पता आयकर विभाग, कक्ष संख्या 401, द्वितीय तल, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास, नई दिल्ली - 110003, दिल्ली, भारत है
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, अपने अध्यक्ष के माध्यम से, जिसका पता साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत- 110011 है
- अतिरिक्त निदेशक ई-सेवाएं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) (आयकर), जिसका पता चतुर्थ तल, मयूर भवन, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001 है

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री प्रतीक केडावत, श्री मोहम्मद बिलाल के साथ ।
प्रतिवादी के लिए	:	श्री अनुरूप सिंघी, श्री एन.एस. भाटी के साथ ।

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन
माननीय श्री न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

आदेश

19/11/2024

अवनीश झिंगन, न्यायमूर्ति (मौखिक):-

1. यह याचिका निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए दिनांक 08.09.2022 के निर्धारण आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है
2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता एक सहकारी समिति है और वादपत्र के अनुसार याचिकाकर्ता आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 80-P के तहत कटौती के लिए पात्र है। फेसलेस मूल्यांकन करने के लिए धारा 143(2) के तहत 29.06.2021 को एक कारण बताओ नोटिस (संक्षेप में 'एससीएन') जारी किया गया था। तकनीकी खराबी के कारण पोर्टल पर उत्तर अपलोड नहीं किया जा सका। याचिकाकर्ता ने 03.05.2022 के आवेदन के माध्यम से राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र के समक्ष शिकायत उठाई और उसे 24.08.2022 को पांच दिन का समय दिया गया। याचिकाकर्ता पोर्टल पर उत्तर अपलोड करने में फिर से सफल नहीं हुआ। 01.09.2022 के आवेदन के माध्यम से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के संज्ञान में शिकायत लाई गई, लेकिन इस बीच, 08.09.2022 का मूल्यांकन आदेश पारित कर दिया गया।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि पोर्टल में तकनीकी खराबी के कारण उत्तर दाखिल नहीं किया जा सका। याचिकाकर्ता को मामले का बचाव करने का अवसर नहीं दिया गया। दलील यह है कि याचिकाकर्ता-सोसायटी अपने सदस्य के कृषि उपज की बिक्री और खरीद में संलग्न है और बिक्री खरीद के इन आंकड़ों को याचिकाकर्ता की आय में जोड़ा गया है।
4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता को उत्तर दाखिल करने के लिए आठ अवसर दिए गए थे लेकिन आवश्यक कार्य नहीं किया गया।
5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता इस स्तर पर मुवक्किल के निर्देशों पर निवेदन करते हैं कि यदि नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए एक अवसर दिया जाता है, तो याचिकाकर्ता मूल्यांकन के समय-बाधित होने की आपत्ति नहीं उठाएगा।
6. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उत्तर में प्रस्तुत सारणीबद्ध चार्ट पर निर्भरता, जिसमें यह दर्शाया गया है कि याचिकाकर्ता को उत्तर दाखिल करने के लिए आठ अवसर दिए गए थे, प्रतिवादी के मामले को मजबूत नहीं करती है। अवसर 22.03.2022 तक दिए गए थे लेकिन उत्तर पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा सका और राष्ट्रीय फेसलेस

मूल्यांकन ने 23.08.2022 को उत्तर दाखिल करने के लिए समय का विस्तार दिया। विस्तार दिए जाने के बाद भी, पोर्टल का कामकाज सौ प्रतिशत नहीं था, परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को उत्तर दाखिल करने का अवसर नहीं दिया गया।

7. पारित मूल्यांकन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। अपील के सांविधिक उपचार के बावजूद रिट क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप के लिए असाधारण मामला बनता है। **व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स, (1998) 8 SCC 1** के निर्णय पर निर्भरता रखी गई है।

8. चुनौतीप्राप्त मूल्यांकन आदेश को रद्द किया जाता है, निर्धारण कार्यालय 29.06.2021 के एससीएन के साथ विधि के अनुसार और उत्तर दाखिल करने का अवसर प्रदान करने के बाद आगे बढ़ेगा। मूल्यांकन आदेश याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए वचन के अधीन रद्द किया जाता है, कि वह मूल्यांकन के समय-बाधित होने का मुद्दा नहीं उठाएगा।

9. याचिका स्वीकार की जाती है।

10. यह वांछनीय है कि निर्धारण कार्यालय यथासंभव शीघ्रता से मूल्यांकन कार्यवाही को पूरा करने का प्रयास करेगा।

(आशुतोष कुमार), न्यायमूर्ति

(अवनीश झिंगन), न्यायमूर्ति

चंदन / 32

क्या रिपोर्ट करने योग्य: हाँ / नहीं

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

